[2021] 6 S.C.R. 87

शकुंतला शुक्ला

विरूद्ध

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 876/2021)

07 सितंबर, 2021

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

जमानत-हत्या का प्रकरण -अभियुक्त-निजी प्रत्यर्थीगण की दोषसिद्धि -आजीवन कारावास दिया गया-अपीलें-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के लंबित रहने के दौरान जमानत स्वीकार की गयी-मृतक की विधवा के द्वारा चुनौती दी गयी-अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबन के दौरान अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित निर्णय आदेश में पूर्णतः स्पष्टता का अभाव है कि निर्णय के किस भाग को प्रस्तुतियाँ कहा जा सकता है और किस भाग को निष्कर्ष/तर्क कहा जा सकता है-यह लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुतियाँ भी नहीं दर्शाता है-अपील लंबित रहने के दौरान जमानत का विरोध करते हुए राज्य की ओर से एक विस्तृत प्रति-शपथपत्र दायर किया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित भी नहीं किया गया है-जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा 389 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन का निराकरण किया है एवं अपील के लंबित रहते हुए जमानत के आवेदन निराकरण किया है, वह अनुमोदन के योग्य नहीं है-गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है-उच्च न्यायालय उन परिस्थितियों पर भी ध्यान देने में विफल रहा जिनके अंतर्गत प्रारंभ से ही अनुसंधान में देरी/भटकाने के प्रयास किए जा रहे थे -यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपराध की गंभीरता और अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप की गंभीरता और विचारण के दौरान और उसके बाद भी साक्षियों को धमकी देने का उनका आचरण एवं पूर्ववृत्त पर विचार नहीं किया है-अभियुक्त-निजी प्रत्यर्थीगण को विचारण अदालत द्वारा दिया गया

दण्ड भुगतने के लिये तत्काल आत्मसमर्पण करें- उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर लंबित अपीलों पर निर्णय लेगा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389, भा.दं.सं. 1860 की धारा 302/149 , 201 सहपठित धारा 120 बी.

निर्णय/आदेश-निर्णय का महत्व और उद्देश्य- यह पर्याप्त नहीं है कि कोई निर्णय सटीक हो, यह युक्तियुक्त, तार्किक और आसानी से समझने योग्य भी होना चाहिए। न्यायालय क्या कहता है और यह कैसे कहता है, उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि न्यायालय क्या निर्धारित करता है-यह वांछनीय है कि निर्णय में स्पष्टता होनी चाहिए, तथ्यों और विधि दोनों पर और प्रस्तुतियों, निष्कर्षों, तर्कों और प्रदान किये गये अंतिम अनुतोष पर।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबन के दौरान अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश में पूर्ण स्पष्टता का अभाव है कि निर्णय और आदेश के किस हिस्से को प्रस्तुतियाँ कहा जा सकता है और किस हिस्से को निष्कर्ष/तर्क कहा जा सकता है। यह लोक अभियोजक की ओर से लंबित अपील के रहते हुए जमानत का विरोध करने वाली प्रस्तुतियों को भी नहीं दर्शाता है। अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य की ओर से एक विस्तृत प्रति-शपथपत्र दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित भी नहीं किया गया है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा 389 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन का निराकरण किया है और अपील लंबित रहते हुये जमानत के लिए आवेदन का निराकरण किया है, उसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 9.1]

2. निर्णय का महत्व; निर्णय का उद्देश्य और निर्णय में क्या निहित होना चाहिए।

2.1 . " "निर्णय" का अर्थ है, एक न्यायिक राय जो प्रकरण की कहानी दर्शाता है; प्रकरण किस बारे में है; न्यायालय प्रकरण को कैंसे हल कर रहा और क्यों"। निर्णय को न्यायालय के समक्ष ठीक से कार्यवाही करने वाले पक्षकारों के बीच किसी प्रश्न या प्रश्नों या विवाद्यक पर न्यायालय द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय के रूप में परिभाषित

किया गया है। इसे एक न्यायाधीश के तर्क के साथ एक न्यायिक कार्यवाही में न्यायालय के निर्णय या दण्डादेश के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो उसे निर्णय तक ले जाता है। "निर्णय" शब्द का उपयोग न्यायिक राय या निर्णय के रूप में किया जाता है। किसी भी निर्णय के चार उद्देश्य होते हैं, जो लिखे गये हैः i) न्यायाधीशों के अपने विचारों को स्पष्ट करना; ii) पक्षों को निर्णय की व्याख्या करना; iii) लोक को निर्णय के कारणों से अवगत कराना; और iv) अपील न्यायालय को विचार करने के लिए कारण प्रदान करना। [पैरा 9.2]

2.2 . यह पर्याप्त नहीं है कि, कोई निर्णय सटीक हो, यह युक्तियुक्त, तार्किक और आसानी से समझने योग्य भी होना चाहिए। न्यायिक राय इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि यह एक विश्वसनीय तरीके से स्पष्ट हो और इस तथ्य को साबित करे कि निर्णय सही और विवेकपूर्ण है। न्यायालय क्या कहता है और वह इसे कैसे कहता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि न्यायालय क्या निर्धारित करता है। प्रत्येक निर्णय में चार मूल तत्व होते हैं और वे हैं (i) तात्विक (सुसंगत) तथ्यों के कथन (ii) विधिक विवाद्यक या प्रश्न (iii) निर्णय तक पहुंचने के लिये मंथन और (iv) अनुपात या निश्चायक निर्णय। एक निर्णय को सुसंगत, सिलसिलेवार और तार्किक रूप से व्यवस्थित होना चाहिये और पाठक को विधिक सिद्धांतों के आधार पर तथ्य के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम बनाना चाहिये। एक निर्णय को तथ्य के निष्कर्ष तैयार करने होते हैं, इसे यह तय करना होता है कि विधि के सुसंगत सिद्धांत क्या हैं और उन विधिक सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करना होता है। निर्णय के महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैंः (i) शीर्षक (ii) प्रकरण क्रमांक और उद्धरण (iii) तथ्य (iv) विवाद्यक (v) दोनों पक्षों के तर्कों का सारांश (vi) विधि का लागू होना (vii) अंतिम निर्णायक अधिमत। [पैरा 9.3]

2.3 . निर्णय न्यायाधीश के व्यक्तित्व की प्रतिकृति है और इसलिए यह अपरिहार्य है कि इसे सतर्कता और सावधानी के साथ लिखा जाना चाहिए। निर्णय तर्क बोधगम्य और तार्किक होना चाहिए। स्पष्टता और सटीकता लक्ष्य होना चाहिए। सभी निष्कर्षों को सम्यक रूप से अभिलिखित कारणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये। निष्कर्ष और दिशा-निर्देश सटीक और विनिर्दिष्ट होने चाहिए। निर्णय लिखना एक कला है, हालांकि यह विधि और तर्क का कौशलपूर्ण उपायोजन है। न्यायाधीशगण लंबित मामलों

एवं अवशिष्ट कार्यों से अधिभारित हो सकते हैं, किंतु उसी सयम मात्रा के लिये गुणवत्ता का त्याग नहीं किया जा सकता। जब तक निर्णय सटीक रीति से न हो, तब तक इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, जो अंततः स्पष्टता की कमी के कारण अपास्त हो जाते हैं। इसलिए, जब भी कोई निर्णय लिखा जाये तो उसमें तथ्यों पर स्पष्टता होनी चाहिए और प्रतिद्वंदी पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों एवं विधिक बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिये तत्पश्चात तर्क एवं अंतिम निष्कर्ष एवं तत्पश्चात आदेश का क्रियात्मक भाग होना चाहिये और प्रदान किये गये अंतिम अनुतोष पर स्पष्टता होनी चाहिये। प्रकरण के पक्षकार को यह ज्ञात होना चाहिये कि अंतिम अनुतोष से उसे वास्तव में क्या प्राप्त हुआ है। निर्णय लिखते समय उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे अपीलीय न्यायालय का भार भी कम होगा। हमने कई ऐसे निर्णय देखे हैं, जिनमें तथ्यों, तर्क और निष्कर्षों पर स्पष्टता का अभाव है। इस बात की प्रोत्साहना करना बहुत कठिन होता है कि विद्वान न्यायाधीश अपने निर्णय के द्वारा क्या सम्प्रेषित करना चाहते हैं और इस कारण मामलों को पुनः विचारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना आवश्यक होता है, इसलिये यह वांछनीय है कि निर्णय में तथ्यों एवं विधि दोनों पर और प्रस्तुतियों, निष्कर्षों, तर्कों और दिये गये अंतिम अनुतोष पर स्पष्टता होनी चाहिये। [पैरा 9.4]

3.1 . यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबित रहते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी प्रोत्साहना और विचार नहीं किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना पर आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपठित धारा 120 बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। एक बार जब अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसके बाद निर्दोष होने की कोई उपधारणा नहीं होगी। इसलिए उच्च न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपिठत धारा 120 बी के तहत दंडनीय गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्तगण को जमानत प्रदान करने में बहुत धीमा होना चाहिये। [पैरा 11]

3.2 . उच्च न्यायालय भी उन परिस्थितियों पर ध्यान देने में विफल

रहा है, जिनमें प्रारंभ से ही अन्वेषण को विलंबित करने के प्रयास किये जा रहे थे। उच्च न्यायालय ने लंबित अन्वेषण और विचारण के दौरान भी अभियुक्तगण के आचरण का विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना के दौरान यह विनिर्दिष्ट रूप से संप्रेक्षित किया है कि अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण और ग्रामीणों को बार-बार धमकियां दीं कि यदि वे अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य देते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उच्च न्यायालय ने भी विचारण के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य लोगों को धमकी देने के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं की धारा 504 और 506 के अपराध के अंतर्गत दर्ज दो प्राथमिकियों को गंभीरता से विचार में नहीं लिया। उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप की गंभीरता के बाद भी विचारण के दौरान और उसके पश्चात साक्षीगण को धमकी दिये जाने के कृत्य को गंभीरता से विचार में नहीं लिया है। [पैरा 11.1, 11.2 और 11.3]

3.3. निजी प्रत्यर्थीगण को विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्ड को भुगतने के लिये तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय लंबित अपीलों को उनके गुणावगुण पर विधि के अनुसार निर्णीत करेगा। [पैरा 13, 14]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील क्रमांक 876/2021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.10.2018 के साथ आपराधिक अपील क्रमांक 878/2021, 877/2021 और 879/2021

अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण व्ही. के. मिश्रा, सुश्री शगुन राय, भुवन राज

मेसर्स एस. नारायण एंड कंपनी के लिए अधिवक्तागण-सुश्री सृष्टि सिंह, सुश्री पूनम आनंद, संदीप नारायण, एच. एन. वशिष्ठ एच. एन. वशिष्ठ और प्रत्यर्थीगण के लिये अधिवक्तागण-उदयादित्य बैनर्जी, सुश्री पारुल शुक्ला।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. दिनांक 08.10.2018 और 06.12.2018 को आपराधिक अपील क्रमांक

1283/2018, 1405/2018, 1496/2018 और 1398/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, जिसमें कि उच्च न्यायालय ने तथाकथित निजी प्रत्यर्थीगण (अभियुक्तगण) को पूर्वोक्त आपराधिक अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया था- मूल परिवादी-मृतक (पीड़ित) की विधवा ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की हैं।

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, दिनांक 08.10.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 का पहला आदेश है, जिसमें मुख्य आरोपी-स्वास्मीनाथ यादव को जमानत पर रिहा किया गया था और जहां तक अन्य अभियुक्तगण का संबंध है, उन्हें आपराधिक अपील क्रमांक 1283/ 2018 (स्वामीनाथ यादव के मामले में) में पारित आदेश और समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया गया है, इसलिए आपराधिक अपील संख्या 1283/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपील क्रमांक 876/2021 को एक प्रमुख अपील के रूप में माना जायेगा।

2.1 तथाकथित सभी निजी प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस थाना बांसडीह, जिला बलिया से उत्पन्न अपराध क्रमांक 103/96 धारा 302/149, 201 सहपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है और उन्हें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 के द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 230/ 1999 (राज्य विरूद्ध विक्रम यादव और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 08.02.2018 और 09.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

संक्षेप में तथ्य

3. कृपा शंकर शुक्ला उर्फ बजरंग शुक्ला का शव दिनांक 28.10.1995 को प्रातः 10 बजे चंद्रमणि पांडे के कुएं में पड़ा पाया गया, यह आवेदन पुलिस थाना बांसडीह, जिला बलिया में दायर किया गया था। यह कि पुलिस दल ने 15.11.1995 को जांच रिपोर्ट तैयार की, हालांकि, पुलिस थाना बांसडीह, बलिया जिले के पुलिस अधिकारी द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी। कुछ ग्रामीणों ने महामहिम को आवेदन भेजा।

राज्यपाल ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा कि इसमें अपीलार्थी-शकुंतला शुक्ला (मृतक की पत्नी) ने दिनांक 13-12-1995 को इस तथ्य के साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह कृपा शंकर शुक्ला (मृत) की विधवा है। दिनांक 26-10-1995 को जब उसका पति बांसडीह से अपने गाँव अदार लौट रहा था, उस रात उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भ्रम पैदा करने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया; यह कि अपीलार्थी के उक्त आवेदन पर, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने सी.बी.-सी.आई.डी. द्वारा मामले की जांच करने का निर्देश दिया; कि जांच के दौरान, तथाकथित इसमें निजी प्रत्यर्थीगण (अभियुक्तगण) के नाम सामने आए। यह कि सी.बी.-सी.आई.डी. ने आरोपी स्वामीनाथ यादव और अन्य सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 147, 149, 302, 201, 218, 120 बी के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 302/149,201 सहपठित धारा 120 बी के अंतर्गत आरोप विरचित किये।

3.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि आपराध शाखा द्वारा अन्वेषण के दौरान जिला बलिया के बांसडीह पुलिस थाने के तत्कालीन उप-निरीक्षक श्री जयनाथ यादव ने थाना प्रभारी के आदेश पर मृतक कृपा शंकर शुक्ला की मृत्यु के मामले में अन्वेषण किया एवं दिनांक 23.12.1995 की अन्वेषण रिपोर्ट में क्रमशः अभियुक्त को जानबूझकर झूठे तथ्यों के आधार पर बचाने के लिए मृतक को शराब के नशे में अपनी प्रेमिका के घर जाते समय कुंए में गिरने और डूब जाने से उसकी मृत्यु होना बताया, जबकि शव परीक्षण रिपोर्ट में डूबकर मृत्यु होने के कोई लक्षण दर्शित नहीं हुये। अन्वेषण के दौरान यह भी दर्शित हुआ कि डॉ. विनोद कुमार राय, जिला अस्पताल, बलिया ने भी अभियुक्त को बचाने के लिये शव परीक्षण रिपोर्ट में विमर्शित मृतक की मृत्यु का गलत कारण उल्लेखित किया है।

3.2 इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी, पुलिस उप-निरीक्षक जयनाथ यादव और डॉक्टर विनोद कुमार राय को अभिययोजित करने का आदेश पारित किया।

3.3 यह कि विचारण के दौरान अभियोजन ने 8 मुख्य साक्षीगण का परीक्षण किया। डॉक्टर चंद्रभाल त्रिपाठी के कथन को न्यायालय साक्षी की तरह

अभिलिखित किया गया था। कई सारे दस्तावेजों को अभिलेख पर लाया गया था। साक्षीगण-ग्रामीणों, जिन्हें अभियोजन की ओर से परीक्षित किया गया , ने अपने अभिकथनों में कहा कि उनके साक्ष्य /कथन देने से पहले उन्हें अभियुक्त द्वारा धमकाया गया था, इतना ही नहीं अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 504 और 506 में धमकी देने के अपराध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी दिया गया था। यह कि सभी साक्षीगण - ग्रामीण, जिनका विनिर्दिष्टतः परीक्षण किया गया, ने कहा कि अभियुक्त ने उन्हें साक्ष्य न देने को कहा और धमकाया; यह कि अन्वेषण के दौरान अभियोजन ने उद्देश्य को साबित एवं स्थापित किया; यह कि साक्ष्यों की विवेचना के दौरान एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में विनिर्दिष्टतः यह पाया गया कि मृतक के फेफड़े संकुचित पाये गये , हालांकि फेफड़ों में कोई पानी नहीं पाया गया। यह कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विनिर्दिष्टतः उल्लेखित किया है कि उपरोक्त के बावजूद , पुलिस उपनिरीक्षक जयनाथ यादव ने न तो उपरोक्त बिंदुओं को स्वयं विचारित किया , न ही इस संबंध में कोई राय किसी चिकित्सक से मांगी, यह कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि जांच प्रतिवेदन बनाने के पूर्व उसने मृतक के भाई , पत्नी एवं पुत्र से न तो पूछताछ की , न ही उनके कथन दर्ज किये। तत्पश्चात साक्ष्यों की विवेचना करने पर एवं विशिष्टतः दिनांक 26.10.1995 को रात 8 बजे अभियुक्तगण को मृतक के साथ देखे जाने वाले साक्ष्य एवं तत्पश्चात कृपा शंकर शुक्ला को किसी ने नहीं देखा और अंततः दिनांक 28.10.1995 को सुबह 10:40 बजे के लगभग उसका शव कुएं में मिला। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 08.02.2018 के माध्यम से तथाकथित निजी प्रत्यर्थीगण-विक्रम यादव, स्वामीनाथ यादव, झिंगुर भार, सुरेंद्र कुमार पांडे और उमेश कुमार पांडे को भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपठित धारा 120 बी के अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया । यह कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी जयनाथ यादव और डॉक्टर विनोद कुमार राय, जिसने कि मृतक के शव का शव परीक्षण कर मृत्यु के गलत कारण बताये, को भी भा.दं.सं की धारा 201 सहपठित धारा 120 बी और 218 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश, जिसमें अभियुक्तगण को आजीवन कारवास की सजा दी गयी है, से व्यथित होकर दोषी आरोपी-स्वामीनाथ यादव ने आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 प्रस्तुत की है।

दोषी ठहराए गए आरोपी-सुरेंद्र कुमार पांडे ने आपराधिक अपील क्रमांक 1405/2018 प्रस्तुत की है। दोषी ठहराए गए आरोपी झिंगुर भार ने आपराधिक अपील क्रमांक 1496/2018 प्रस्तुत की है और दोषी ठहराए गए आरोपी विक्रम यादव ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील क्रमांक 1398/2018 प्रस्तुत की है।

4.1 उपरोक्त आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 में आरोपी स्वामीनाथ यादव ने 2018 के जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1 के अंतर्गत आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी। दिनांक 08.10.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया और आरोपी-स्वामीनाथ यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य दो प्रतिभूतियों के साथ समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

4.2 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2018 की आपराधिक विविध जमानत का आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018 में आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 में अभियुक्त स्वामीनाथ यादव के प्रकरण में आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 में विविध जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018 का पालन अन्य तीन अपीलों और अन्य तीन अभियुक्तों सुरेन्द्र कुमार पांडे, झिंगुर भार और विक्रम यादव को भी समानता के आधार पर जमातन पर रिहा किया गया है कि सह-अभियुक्त स्वामीनाथ यादव को एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है।

5. संबंधित आपराधिक अपील के लंबित रहते हुये उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी-पीड़ित-मृतक की पत्नी ने वर्तमान आपराधिक अपीलें प्रस्तुत की हैं।

5.1 इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब तक उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया, तब तक उन्होंने केवल 8 महीने की सजा भुगती थी।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री व्ही. के. मिश्रा उपस्थित

हुये हैं और आपराधिक अपील क्रमांक 876/ 2021 और 877/ 2021 में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप नारायण और उदयादित्य बैनर्जी उपस्थित हुये हैं और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सृष्टि सिंह उपस्थित हुई हैं।

6.1 तामील होने के बावजूद शेष अभियुक्तगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। हालांकि निजी प्रत्यर्थीगण आपराधिक अपील क्रमांक 876/ 2021 और 877/ 2021 में अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं नेअपनी प्रस्तुतियों में न्यायालय की उचित सहायता की है, जिसमें सभी प्रकरण समाविष्ट होंगे।

6.2 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री व्ही. के. मिश्रा ने उपस्थित होकर तथ्यों को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने संबंधित अपील के लंबित रहते हुये प्रत्यर्थीगण - अभियुक्त को जमानत पर रिहा करके एक गंभीर त्रुटि कारित की है।

6.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को उचित रूप से विवेचित और विचारित नहीं किया है कि, विचारण न्यायालय ने विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा और अभिलेख पर उपस्थित संपूर्ण साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद अभियुक्त भादंसं की धारा 302/149, 201 सहपठित धारा 120 बी के अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया है और आजीवन कारावास से दण्डित किया है।

6.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि जब एक बार विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत बहुत गंभीर अपराध के लिये दोषसिद्ध कर देता है, तत्पश्चात निर्दोष होने की कोई उपधारणा नहीं की जानी चाहिये और इसलिये उच्च न्यायालय को अपील के लंबित रहते हुये उन अभियुक्तगण को जमानत देने में तत्परता दिखाने से बचना चाहिये, जो भा.दं.सं. की धारा 302/149,201 सहपठित धारा 120 बी के अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए गए हैं।

6.5 इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया है कि, अपील के लंबित रहते हुये उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई भी कारण समनुदिष्ट नहीं किया गया है । यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय उन

परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है जिनके अंतर्गत प्रारंभ से ही अन्वेषण को भटकाने के प्रयास किये गये हैं और यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी तथा उस डॉक्टर, जिसने शव परीक्षण किया था, को भी भा.दं.सं. की धारा 201 सहपठित धारा 120 बी तथा 218 के अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया है।

6.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से विवेचित और/या उसका टिप्पण और/या उसका विचारण नहीं किया है कि वो अभियोजन साक्षी-ग्रामीण, जिन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दी थी, उन्हें जमानत पर बाहर आये अभियुक्तगण द्वारा लगातार धमकियां दी गयीं तथा यह भी धमकी दी गयी कि यदि वे अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य देते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

6.7 यह प्रस्तुत किया गया है कि, उच्च न्यायालय यह भी विचार करने में विफल रहा है कि यहां तक कि विचारण के लंबित रहते हुये अभियुक्त द्वारा परिवादी तथा अन्य को धमकियां देने के लिये भा .दं.सं की धारा 504 और 506 के अपराधों के अंतर्गत दो प्राथमिकियां दर्ज की गयी थीं।

6.8 यह प्रस्तुत किया गया है कि, आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में, उच्च न्यायालय ने अपील के लंबित रहते हुये, जमानत के विरूद्ध राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रति-शपथपत्र को भी संदर्भित नहीं किया है।

6.9 यह प्रस्तुत किया गया है कि, उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध आपराधिक अपीलों के लंबित रहते हुये अभियुक्त-तथाकथित निजी प्रत्यर्थीगण को जमानत पर रिहा करते समय अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग की गंभीरता तथा अपराध की गंभीरता को कतई विचार में नहीं लिया तथा विचारण के दौरान साक्षीगण को धमकाने का आचरण एवं उनके पूर्ववृत्त पर भी विचार नहीं किया।

6.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की गयी है कि वर्तमान अपीलों को मंजूरी प्रदान करें तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को अपास्त करें, जिसमें आपराधिक अपील के लंबित रहते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर

रिहा किया गया था।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी का पूरा समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण के दौरान भी अभियुक्त के उद्देश्य, पूर्ववृत्त तथा आचरण को और जिस प्रकार प्रारंभ से ही निष्पक्ष अन्वेषण को बाधित करने के सभी प्रयास किये गये , उन पर उच्च न्यायालय ध्यान देने और/या विचारण करने में विफल रहा है।

7.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के लंबित रहते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं का निराकरण किया है और अभियुक्तगण को अपीलों के लंबित रहते हुये जमानत पर रिहा किया है, वह बिल्कुल भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों से, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियों और यहां तक कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय दर्ज किए गए निष्कर्षों की पहचान करना कठिन है। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य की ओर से दी गयी प्रस्तुतियों का सारांशीकरण नहीं किया है और/या उन पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है।

7.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दो प्रकरणों, आपराधिक अपील क्रमांक 158/1996 अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 143, 504 और 506 एवं आपराधिक अपील क्रमांक 23/1999 अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 504 और 506 आपराधिक पूर्ववृत्त को बहुत हल्के में लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य का अवलोकन करना चाहिये था कि उपरोक्त प्रकरण अभियुक्तगण द्वारा मृतक तथा अपीलार्थी के परिवारजनों एवं साक्षीगण को धमकाने के थे।

8. प्रत्यर्थीगण-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलों के लंबित रहते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

8.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृत रूप से यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि उसने कृपा शंकर शुक्ला को मारते हुये या उसके शव को कुंए में फैंकते हुये देखा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि शव परीक्षण प्रतिवेदन में भी, मृत्यु का कारण 'डूबने से मृत्यु' दिखाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि वहां पर अन्य कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है, जो मृत्यु के भिन्न कारण को दर्शाता हो।

8.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विचारण के दौरान आरोपी जमानत पर थे और उसके बाद भी आक्षेपित आदेशों से भी आरोपी जमानत पर हैं और यह कहीं भी अभिलिखित नहीं है कि उन्होने न्यायालय द्वारा उनको जमानत पर रिहा करके प्रदान की गयी स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाता है।

8.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया है।

9. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 और 120 बी के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों में दोषसिद्धि के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध अपील के लंबित रहते हुये उच्च न्यायलय द्वारा अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश को भी हमने सावधानीपूर्वक देखा ।

9.1 अपील के लंबित रहते हुये उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश का अवलोकन करने के बाद, हमें इस बात का दुःख है कि, अपील के लंबित रहते हुये अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के आदेश में पूर्णतः स्पष्टता का अभाव है कि, निर्णय और आदेश के किस भाग को प्रस्तुतियां कहेंगे और किस भाग को निष्कर्ष/तर्क कहेंगे। यहां तक कि लोक अभियोजक की ओर से अपील के लंबित रहते हुये जमानत के विरोध में की गयी प्रस्तुतियों को भी नहीं दर्शाता है। अपील के लंबित रहते हुये राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुये विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित भी

नहीं किया गया है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 389 के अंतर्गत आवेदन का निराकरण किया है तथा अपील के लंबित रहते हुये जमानत के आवेदन का निराकरण किया है, उसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस निर्णय से हमें निर्णय के महत्व, निर्णय के उद्देश्य तथा निर्णय में क्या अंतर्निहित होना चाहिये, का सम्प्रेक्षण करने की आवश्यकता है।

9.2 सर्वप्रथम हम यह विचार करते हैं कि "निर्णय" क्या है। "निर्णय" का अर्थ है एक न्यायिक राय, जो मामले की कहानी बताती है; मामला क्या है , किस बारे में है ; न्यायालय प्रकरण का विनिश्चय कैंसे और क्यों कर रही है। "निर्णय" को किसी प्रश्न या प्रश्नों पर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी विनिश्चय या न्यायालय में पक्षकारों के मध्य किसी विवाद्यक पर किये गये विनिश्चय से परिभाषित किया जा सकता है। इसे एक न्यायाधीश के तर्क के साथ एक कानूनी कार्यवाही में न्यायालय के विनिश्चय या दण्ड के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो उसे अपने निर्णय की ओर ले जाता है। सामान्यतः "निर्णय" शब्द का उपयोग न्यायिक राय एवं विनिश्चय के रूप में किया जाता है। क्वींसलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोजलिन एटकिंसन ने अपने भाषण में एक बार कहा था कि लिखे गए किसी भी निर्णय के चार उद्देश्य होते हैंः

i) न्यायाधीशों के अपने विचारों को स्पष्ट करना।

ii) पक्षकारों को अपने निर्णय के बारे में समझाना।

iii) निर्णय के कारणों को लोक को संसूचित करना; और

iv) अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए कारण प्रदान करना।

9.3 यह पर्याप्त नहीं है कि कोई निर्णय सटीक हो, यह युक्तियुक्त, तार्किक और आसानी से समझने योग्य भी होना चाहिये। न्यायिक राय इस प्रकार से लिखी जानी चाहिये कि, यह एक विश्वसनीय तरीके से स्पष्ट हो और इस तथ्य को साबित करे कि विनिश्चय सही और विवेकपूर्ण है। न्यायालय क्या कहता है, और वह इसे कैसे कहता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि न्यायालय क्या विनिश्चय करता है ।

प्रत्येक निर्णय में चार मूल तत्व होते हैं और वे हैं (i) तात्विक (सुसंगत)

तथ्यों का विवरण, (ii) विधिक विवाद्यक या प्रश्न, (iii) निर्णय पर पहुंचने के लिए मंथन और (iv) अनुपात या निश्चायक निर्णय। एक निर्णय को सुसंगत, सिलसिलेवार और तार्किक रूप से व्यवस्थित होना चाहिये। इसे पाठक को विधिक सिद्धांतों के आधार पर तथ्य के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम बनाना चाहिये। एक निर्णय को पढ़ने की कला को पूर्ण रूप से समझने के लिए निर्णय में महत्वपूर्ण तत्वों की जांच करना उचित है। पाथ ऑफ लॉ में, जे. होम्स ने उन असंवेदनशील कारकों पर जोर दिया है जो एक न्यायाधीश को प्रतीति कराते हैं। एक निर्णय को तथ्य के निष्कर्ष तैयार करने होते हैं, उसे यह तय करना होता है कि विधि के सुसंगत सिद्धांत क्या हैं और उसे उन विधिक सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करना होता है। निर्णय के महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैंः

i) शीर्षक

ii) प्रकरण क्रमांक और उद्धरण

iii) तथ्य

iv) विवाद्यक

v) दोनों पक्षों के तर्कों का सारांश

vi) विधि का अनुप्रयोग

vii) अंतिम निर्णायक अधिमत

9.4 निर्णय न्यायाधीश के व्यक्तित्व की प्रतिकृति है और इसलिए यह अपरिहार्य है कि इसे सतर्कता और सावधानी के साथ लिखा जाना चाहिए। निर्णय तर्क बोधगम्य और तार्किक होना चाहिए। स्पष्टता और सटीकता लक्ष्य होना चाहिए। सभी निष्कर्षों को सम्यक रूप से अभिलिखित कारणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये। निष्कर्ष और दिशा-निर्देश सटीक और विनिर्दिष्ट होने चाहिए। निर्णय लिखना एक कला है, हालांकि यह विधि और तर्क का कौशलपूर्ण उपायोजन है। न्यायाधीशगण लंबित मामलों एवं अवशिष्ट कार्यों से अधिभारित हो सकते हैं, किंतु उसी समय मात्रा के लिये गुणवत्ता का त्याग नहीं किया जा सकता। जब तक निर्णय सटीक रीति से न हो, तब तक इसका

व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, जो अंततः स्पष्टता की कमी के कारण अपास्त हो जाते हैं। इसलिए, जब भी कोई निर्णय लिखा जाये तो उसमें तथ्यों पर स्पष्टता होनी चाहिए और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों एवं विधिक बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिये तत्पश्चात तर्क एवं अंतिम निष्कर्ष एवं तत्पश्चात आदेश का क्रियात्मक भाग होना चाहिये और प्रदान किये गये अंतिम अनुतोष पर स्पष्टता होनी चाहिये। प्रकरण के पक्षकार को यह ज्ञात होना चाहिये कि अंतिम अनुतोष से उसे वास्तव में क्या प्राप्त हुआ है। निर्णय लिखते समय उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे अपीलीय न्यायालय का भार भी कम होगा। हमने कई ऐसे निर्णय देखे हैं, जिनमें तथ्यों, तर्क और निष्कर्षों पर स्पष्टता का अभाव है। इस बात की प्रोत्साहना करना बहुत कठिन होता है कि विद्वान न्यायाधीश अपने निर्णय के द्वारा क्या सम्प्रेषित करना चाहते हैं और इस कारण मामलों को पुनः विचारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना आवश्यक होता है, इसलिये यह वांछनीय है कि निर्णय में तथ्यों एवं विधि दोनों पर और प्रस्तुतियों, निष्कर्षों, तर्कों और दिये गये अंतिम अनुतोष पर स्पष्टता होनी चाहिये।

10. यदि हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर विचार करते हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर सम्प्रेक्षित किया गया है, तो हम पाते हैं कि प्रस्तुतियों में स्पष्टता का पूर्ण रूप से अभाव है। प्रस्तुतियाँ, आदेश का कौन सा भाग प्रस्तुत है, आदेश का कौन सा भाग निष्कर्ष और/या तर्क है। जैसा कि ऊपर सम्प्रेक्षित गया है, यहां तक कि लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुतियों को भी नोट और संदर्भित नहीं किया गया है, हालांकि राज्य द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए एक विस्तृत प्रति-शपथपत्र दायर किया गया था। अपील के लंबित रहते हुये, जमानत आवेदन पत्र का निराकरण जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, हम उस तरीके का अनुमोदन नहीं करते हैं।

11. यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबित रहते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी प्रोत्साहना और विचार नहीं किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना पर आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपठित धारा

120 बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। एक बार जब अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसके बाद निर्दोष होने की कोई उपधारणा नहीं होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपिठत धारा 120 बी के तहत दंडनीय गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्तगण को जमानत प्रदान करने में बहुत धीमा होना चाहिये।

11.1 यहां तक कि उच्च न्यायालय भी उन परिस्थितियों पर ध्यान देने में विफल रहा है जिनके तहत शुरू से ही जांच में देरी/भटकाने के प्रयास किए गए थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अन्वेषण अधिकारी और यहां तक कि उस डॉक्टर को भी दोषी ठहराया जिसने भा.दं.सं. की धारा 201 सहपठित धारा 120 बी और 218 के तहत अपराधों के लिए शव परीक्षण किया था।

11.2 . उच्च न्यायालय ने भी अन्वेषण लंबित रहते हुये और विचारण के दौरान भी अभियुक्तगण के आचरण का विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य की विवेचना करते हुए विशेष रूप से कहा है कि अभियुक्तगण ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और ग्रामीणों को बार-बार धमकी दी और उन्हें धमकी दी कि अगर वे अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य देते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उच्च न्यायालय ने परिवादी पक्ष और अन्य लोगों को धमकी देने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 504 और 506 के अंतर्गत अपराधों के विचारण के दौरान दायर दो प्राथमिकियों पर भी बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने बहुत ही सरसरी तौर पर यह कहा है कि, भा.दं.सं. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के दो मामले सरल प्रकृति के हैं और यह कि "ये दोनों प्रकरण अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त को गठित नहीं करेंगे।" परिवादी पक्ष और अन्य साक्षियों को धमकी देना भा.दं.सं. की धारा 504 और 506 के अंतर्गत अपराधों को बहुत गंभीर अपराध कहा जा सकता है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आचरण को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए था।

11.3. यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपराध की गंभीरता और अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप की गंभीरता और विचारण के दौरान और उसके बाद भी

साक्षियों को धमकी देने का उनका आचरण एवं पूर्ववृत्त पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए था कि जब उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया था, तो उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध मात्र 8 माह की सजा भुगती है।

12. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय ने धारा 302/149, 201 सहपिठत धारा 120 बी भा.दं.सं के अपराधों में दोषसिद्धि के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध लंबित अपील के दौरान अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर गंभीर त्रुटि कारित की है।

13. उपरोक्त और ऊपर व्यक्त किये गये कारणों के आलोक में, वर्तमान अपील सफल होती है। दिनांक 08.10.2018 और 06.12.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, जिनमें विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध, जिनमें भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपिठत धारा 120 बी अधीन दोषसिद्धि अपीलों के लंबन के दौरान निम्नलिखित निजी प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया गया था, अभिखण्डित एवं अपास्त किये जाते हैं। निम्नलिखित क्रमानुसार आपराधिक अपील क्रमांक 1283/2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018, आपराधिक अपील क्रमांक 1405/2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018, आपराधिक अपील क्रमांक 1496/2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018 और आपराधिक अपील क्रमांक 1398/2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 1ए/1/2018 में क्रमशः स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडे, झिंगुर भार और विक्रम यादव को भा.दं.सं. की धारा 302/149, 201 सहपठित धारा 120 बी के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध अपास्त किया जाता है। इन निजी प्रत्यर्थीगण-स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडे, झिंगुर भार और विक्रम यादव को निर्देशित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को पूरा करने के लिए तत्काल आत्मसमर्पण करें, जिसमें विफल रहने पर विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें तुरंत अभिरक्षा

में लिया जाये। इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भी प्रेषित की जाए।

14. उपरोक्त शर्तों पर वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, उच्च न्यायालय इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर कानून के अनुसार, अपने गुण-दोष के आधार पर लंबित अपीलों का निर्णय करेगा।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

श्रीमती उषा तिवारी